

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प पारडी

प्र.सं 28 / 2018 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक 15.05.2018

अनवान

1. मुकुट बिहारी पिता सोहनलाल शर्मा नि. मदनगंज किशनगढ़ त. देवगढ़ जि.राजसमंद

.....प्रार्थी

बनाम

2. धर्मसिंह पिता दीपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
2. लक्ष्मणसिंह पिता दीपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
3. नारायणसिंह पिता दीपा दरोगा नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
4. हमीर पिता गणेश गुर्जर नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
5. प्रताप पिता गणेश गुर्जर नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
6. प्रताप पिता भोला बलाई नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
7. रूपा पिता भोला बलाई नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
8. हरलाल पिता नेना बलाई नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद
9. हेमा पिता छोगा बलाई नि. भूरवाडा त. देवगढ़ जि.राजसमंद

.....विपक्षीगण

वाद अर्न्तगत धारा 111-128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 10.5.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पारडी में पेश हुई। पक्षकारण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षीगण में से संख्या 1, 3 व 8 उपस्थित रहे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूरवाडा, प.ह. पारडी त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। खाता सं. 4 आराजी नं. 232 रकबा 9.02 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व पड़ोसी के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बंधित विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अशांति कायाम रहती हैं। जिससे प्रार्थी उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहे हैं यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थी उसकी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र


स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारडी में नियत कर। पक्षकारन को पुनः सूचना पत्र जारी किये गया। अन्य पक्षकारन अनुपस्थित रहें। यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की नपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम भूरवाडा, प.ह. पारडी त.देवगढ की नकल जमाबन्दी सं० 2068 से 2071 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम भूरवाडा, प.ह. पारडी त.देवगढ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। ग्राम भूरवाडा, प.ह. पारडी त.देवगढ में खाता सं. 4 आराजी नं. 232 रकबा 9.02 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारन को सूचित करा मौके पर पत्थरगढी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 15.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारडी में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।


सहायक कलेक्टर
देवगढ देवगढ त.देवगढ ज.राजसमंद